

# FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)


अज अदालत—जिला कलक्टर मुकाम : दौसा  
इमरती बनाम उप जिला कलक्टर महवा वगै०

किस्म मुकदमा— स्थानान्तरण प्रा०पत्र

नम्बर

54

सन्— 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.7.2023	<p>अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामावतार बैरवा उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करें। अप्रार्थीगण की तलबी की जावे। अप्रार्थी संख्या 01 से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 25.08.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलक्टर दौसा</p>	<p>तलब 1445 14-7-23</p>
25.8.2023	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा श्री संजय गोयल, वर्तमान में महवा में कार्यरत नहीं है। पीठासीन अधिकारी महवा के पद पर अन्य अधिकारी कार्यरत है। जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त स्थानान्तरण प्रा०पत्र को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध यह स्थानान्तरण प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अतः स्थानान्तरण प्रा.पत्र विचाराधीन रखे जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहा गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति उपखंड अधिकारी महवा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर दौसा</p>	